"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2009—कार्तिक 20, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

फा. क्र. 7354/डी-2500/21-ब/छ.ग./09.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 253/3351/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 5-01-2007 के सरल क्रमांक 04, 13 एवं 16 की प्रविष्टियों को अतिष्ठित करते हुए, अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये विशेष न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार कॉलम (3) में दर्शित है, के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश को उक्त विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है :—

स. क्र.	विशेष न्यायालय	न्यायालय का क्षेत्राधिकार	पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
04.	सरगुजा स्थान अम्बिकापुर	राजस्व जिला अम्बिकापुर	सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर
13.	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग	सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
16.	महासमुन्द	राजस्व जिला महासमुन्द	सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द

Raipur, the 31st October 2009

NOTIFICATION

F. No. 7354/D-2500/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred by section 153 (1) of the Indian Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, and in supersession of entries of S. No. 04, 13 & 16 of previous Notification No. 253/3351/XXI-B/C. G./06, dated 5-01-2007 hereby, the Special Court specified in Column (2) of the schedule below in relation to the areas in the corresponding entries in Column (3) thereof and appoints the Judge specified in Column (4) of the said schedule as Presiding Officer of Special Court :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
04.	Ambikapur (Sarguja)	Ambikapur Revenue District	Sessions Judge, Ambikapur
13.	Durg	Durg Revenue District	Sessions Judge, Durg
16.	Mahasamund	Mahasamund Revenue District	Sessions Judge, Mahasamund

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.